

**बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग**

का0आ0सं0-जी0/बी0डी0-09-20-विविध-16/21 108

पटना, दिनांक- 8/10/25

‘कार्यालय आदेश’

पूर्वादेश को विखंडित करते हुए व्यायामशाला, राजवंशीनगर, पटना में प्रतिनियुक्त निम्नांकित कर्मियों को उनके नाम के सामने अंकित आवास आदेय किराया एवं अनुमान्य करो के भुगतान की शर्त पर आवास अधिग्रहण की तिथि से आवंटित किया जाता है :-

क्र0	नाम/पदनाम	विभाग/कार्यालय	नव आवंटित आवास
1.	श्री अरुनेश कुमार, सिपाही	जिला अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय, पटना सम्प्रति प्रतिनियुक्त व्यायामशाला, राजवंशीनगर	242 / 400, 400 सेट राजवंशीनगर
2.	श्रीमती अन्नु कुमारी निम्नवर्गीय लिपिक	जिला राजस्व शाखा, पटना समाहरणालय सम्प्रति प्रतिनियुक्त व्यायामशाला, राजवंशीनगर	241 / 400, 400 सेट राजवंशीनगर
3.	श्रीमती नुतन कुमारी उच्चवर्गीय लिपिक	दानापुर अनुमंडल कार्यालय सम्प्रति प्रतिनियुक्त व्यायामशाला, राजवंशीनगर	4 / 400, 400 सेट राजवंशीनगर
4.	मारिया अभिनवी भारती सिपाही	जिला अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय, पटना सम्प्रति प्रतिनियुक्त व्यायामशाला, राजवंशीनगर	77 / 400, 400 सेट राजवंशीनगर

- सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी कर्मी आदेश निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी कर्मचारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
- नये आवंटी कर्मी कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
- पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
- सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:-जी0/बी0डी0-09-20-विविध-16/21 9374 (मि) पटना, दिनांक:- 8/10/25

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित आवंटी कर्मचारी/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमण्डल, दानापुर/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई.सी./आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।